रजिस्ट्री सं. डी. (डी.एन.)-72 REGISTERED No. D. (D.N.)-72

CW 27/3/86

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 554] नई दिल्ली, शुक्रवार, नवम्बर 22, 1985/अग्रहायण 1, 1907
No. 554] NEW DELHI, FRIDAY, NOV. 22, 1985/AGRAHAYANA 1, 1907

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

गृह मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 22 नवम्बर, 1985

का. आ 840 (अ).—केन्द्रीय सरकार, विधि विरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 (1967 का 37) की धारा 5 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, विधि विरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिकरण गठित करती है जिसके गौहाटी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, श्री न्यायमूर्ति शफ़ीकुल हक़ होंगे ।

[फा. सं. 11/14/85-एन. ई.-1]

आर. वासुदेवन, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 22nd November, 1985

S.O. 840(E) :—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 5 of the Unlawful Activities (Prevention) Act, 1967 (37 of 1967), the Central Government hereby constitutes the "Unlawful Activities (Prevention) Tribunal" consisting of Shri Justice Shafiqul Haque, Judge of the Gauhati High Court.

[F. No. 11/14/85-N. E. II]

R. VASUDEVAN, Jt. Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054. 1985